



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०८/१६९/२०२२/एफ.सी. 1299

दिनांक: 27.07.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/150368/2021

विषय: उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्रा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं० : पी-186/81-2-2022-800(203)/2022, लखनऊ, दिनांक-07.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the .kml file of the forest area proposed for diversion, some parts of the MDR-15B road and Hamirpur highway (Toposheet no. G44N14 & G4403) are demarcated as Forest land as well as Non-Forest land, this needs clarification/rectification.
2. NFL proposed for CA is *Janglat Gram Samaj* land. If it is recorded as 'Janglat' then provisions of FCA are applicable on this land. Hence, non forest land not recorded as forest in any government record, needs to be provided for CA. This NFL should be contiguous to Forest land.
3. Revised CA scheme and related documents needs to be provided and shall be uploaded on PARIVESH portal for double the area proposed for diversion in respect of 12.4869 ha. Protected Forest.
4. No. of tree felling proposed as per part-ii of the proposal is 375, however, as per LSC of concerned DFO, 133 trees to be felled is shown. This needs clarification.
5. Alignment of area proposed for diversion on RoW needs to be clarified.
6. All NOCs from concerned departments (NHAI/PWD, Irrigation, Road, Canal, etc.) needs to be submitted.
7. Component wise breakup of entire land needs to be submitted.
8. Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in kml file.

9. An undertaking needs to be submitted by the User agency stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project and that no subsequent proposal shall be initiated for the same purpose involving the same area.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, महोबा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}